<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062024-254628 CG-DL-E-08062024-254628

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] No. 409] नई दिल्ली, शुक्रवार , जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

# भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2024

- फा. सं. ए-60011/4/2024-ऐडिमिन-आईआईएसी.—भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम के लिए माध्यस्थम् के संचालन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्थम का संचालन) विनियम 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-
- (क) "अधिनियम" से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम 2019 (2019 का 17) अभिप्रेत है;
- (ख) "सलाहाकारी पैनल" से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थम का संचालन) विनियम 2023 के विनियम 9 के अधीन गठित सलाहाकारी पैनल अभिप्रेत है;
- (ग) "प्रशासनिक फीस" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है;
- (घ) "माध्यस्थम अधिकरण" से मध्यस्थ से मिलकर बना अधिकरण अभिप्रेत है;
- (ड़) "मध्यस्थ की फीस" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट मध्यस्थ की फीस अभिप्रेत है;
- (च) "माध्यस्थम अधिनियम" से माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत है;

3445 GI/2024 (1)

- (छ) "दावाकर्ता" से सूक्ष्म, लघु और माध्यस्थम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन यथा परिभाषित प्रदायकर्ता अभिप्रेत है;
- (ज) "केंद्र" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और समाविष्ट भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अभिप्रेत है;
- (झ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट केंद्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ञ) "सुकरीकरण परिषद" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 20 के अधीन स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद अभिप्रेत है;
- (ट) "सूक्ष्म उद्यम" या "लघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम अभिप्रेत है;
- (ठ) "मध्यस्थों का पैनल" से अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन केंद्र द्वारा रखा गया मध्यस्थों का पैनल अभिप्रेत है;
- (ड) "व्यावसायिक निदेश" से इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए निदेश अभिप्रेत है;
- (ढ) "रजिस्ट्रार" से केंद्र का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (ण) "प्रत्यर्थी" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन यथा परिभाषित क्रेता अभिप्रेत है;
- (त) "अनुसूची" इन विनियमों से संलग्न सूची अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम या माध्यस्थम अधिनियम या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियों में हैं।
- 3. लागू होना- जब विवाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन सुकरीकरण परिषद द्वारा केंद्र को निर्दिष्ट है तब माध्यस्थम, केंद्र द्वारा माध्यस्थम अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार संचालित और प्रशासित किया जा सकेगा।
- 4. दावे का कथन.- (1) रजिस्ट्रार, विनियम 3 के अधीन निदेश की प्राप्ति पर इस विनियम के अधीन दावे का कथन फाइल करने के लिए दावेदार को सूचना जारी करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन किसी सूचना के प्राप्त होने पर दावेदार, तीस दिन की अविध के भीतर दावे का कथन अधिमानतया <a href="https://indiaiac.org">https://indiaiac.org</a> पर सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर इसे अपलोड करके या माध्यस्थम् (जिसे इसमें इसके पश्चात् पत्यर्थी कहा गया है) को अन्य पक्षकार को एक प्रति के साथ केन्द्र के पास उसकी भौतिक प्रति फाइल करके प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे उपवर्णित होंगे, अर्थातु:-
  - (क) विवाद की प्रकृति और परिस्थितियां तथा किसी मात्रात्मक दावों की रकम सिहत मांगे गए अनुतोष को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्रत्यर्थी के विरुद्ध किए गए दावों और संभव सीमा तक, समर्थकारी दस्तावेजों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुसार किए जा रहे ब्याज सिहत, ऐसे किन्हीं दावों के मौद्रिक मृत्य के प्राक्कलन का वर्णन करने वाला विवरण;
  - (ख) माध्यस्थम् के पक्षकारों और उनके प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के ज्ञात सीमा तक, पूरा नाम और नाम और पता जिसके अंतर्गत टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता भी है।
  - (ग) ऐसी पुष्टि कि दावे के कथन और समर्थकारी दस्तावेजों की प्रतियां तामील के ढंग और तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए पक्षकारों पर तामील कर दी गई हैं।

परंतु इस विनियम के अधीन दावे का कथन फाइल करने के लिए तीस दिन की अवधि को मान्य और पर्याप्त कारण के आधार पर रजिस्टार द्वारा पंद्रह दिन से अनिधक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

- (3) दावे के कथन का फाइल किया जाना किसी पक्षकार को तत्पश्चात् इसकी अभिवचनों में जोड़ने , अनुपूरित करने या संशोधित करने, दावाकृत अनुतोष से निवारित नहीं करेगा बशर्ते कि ऐसा दावाकृत अनुतोष विवाद से सुसंगत है।
- 5. प्रतिरक्षा और प्रति दावा का कथन.- (1) प्रत्यर्थी दावा करने वाले और केन्द्र को प्रतिरक्षा के कथन और प्रतिदावे , यदि कोई हो, दावे के कथन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अधिमानत: https://indiaiac.org केन्द्र की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर इसे अपलोड करके या ई-मेल के माध्यम से या केन्द्र के पास भौतिक प्रति फाइल करके भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे या उसके साथ संलग्न होंगे, अर्थात्:-

- (ख) प्रत्यर्थी और उसके प्रतिनिधियों, यदि कोई हों के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल पते सहित पूरा नाम ओर पता:
- (ग) प्रतिरक्षा के प्रतिवाद का कथन और किसी प्रति दावे की प्रकृति और परिस्थितियों का कथन जिसमें दावा किया गया अनुतोष जिसके अंतर्गत किसी मात्रात्मक प्रतिदावों की रकम भी है और, संभव सीमा तक समर्थकारी दस्तावेजों सहित ऐसे किसी प्रतिदावों का मौद्रिक मुल्य का प्राक्कलन विनिर्दिष्ट है;
- (घ) पुष्टि कि प्रतिवाद और प्रतिदावा की प्रतियों यदि कोई हों और भरोसा किए गए दस्तावेजों को दावेदार पर और अन्य पक्षकारों पर, यदि कोई हों, तामील का ढंग और उसकी तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील किया गया है:
- परन्तु विनियम (1) के अधीन प्रतिरक्षा और प्रतिदावे के कथन, यदि कोई हों, को फाइल करने की तीस दिन की अविध को, पंद्रह दिन से अनाधिक की अतिरिक्त अविध के लिए मान्य और पर्याप्त कारण के आधार पर रिजस्ट्रार द्वारा बढ़ाया जा सकेगा और यदि प्रतिरक्षा तथा प्रतिदावा, यदि कोई हों, का कथन, विस्तारित अविध, यदि कोई हों, के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा फाइल नहीं किया जाता है तो प्रत्यर्थी को अतिरिक्त विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।
- (2) यदि प्रत्यर्थी प्रतिरक्षा के कथन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो माध्यस्थम अधिकरण, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर माध्यस्थम के साथ अग्रसर हो सकेगा।
- (3) प्रतिरक्षा और प्रतिदावा के कथन की अन्तर्वस्तु, यदि कोई हों इसके अभिवाकों को तत्पश्चात जोड़ने, अनुपूरित करने या संशोधिक करने से प्रत्यर्थी को निवारित नहीं करेगा बशर्ते कि वे विवाद से सुसंगत हों।
- 6. लिखित संसूचना और अविध की संगणना-(1) कोई संसूचना या सूचना लिखित में होगी और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या कुरियर सर्विस द्वारा परिदत्त या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में से किसी माध्यम द्वारा पारेषित की जा सकेगी या किसी ऐसे अन्य साधन द्वारा परिदत्त की जा सकेगी जो इसके पारेषण के अभिलेख का उपबंध करता है या किसी अन्य रीति में जो केंद्र या माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देशित की जाए परिदत्त की जा सकेगी:
- (2) कोई लिखित संसूचना या सूचना प्राप्त हुई समझी जाएगी यदि निम्नलिखित को परिदत्त किया गया है,-
  - (क) व्यक्तिगत रूप से प्रेषिती; या
  - (ख) उसके आदतन निवास कारबार का स्थान या पदाभिहित पता; या
  - (ग) संसूचना की तामील के लिए पक्षकारों द्वारा करार पाए गए किसी पते; या
  - (घ) पूर्व व्यौहारों में पक्षकारों के व्यवसाय के अनुसार; या
  - (ड़) उसके ज्ञात ई-मेल पते; या
  - (च) यदि उपरोक्त में से कोई भी युक्ति युक्त जांच करने के पश्चात नहीं पाया जाता है, तो प्रेषिती का कारबार या निवास का अंतिम ज्ञात पता
- (3) कोई लिखित संसूचना या नोटिस उस दिन ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा जब यह प्रदत्त किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के मामले में प्रेषित किया जाता है।
- 7. मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रकटीकरण.- (1) जहां कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह निम्न को लिखित में प्रकट करेगा:-
- (क) किसी पक्षकार के साथ संबंध या उसमें हित या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध, चाहे वित्तीय, कारोबारी, व्यावसायिक या किसी अन्य प्रकार से किसी भूत या वर्तमान में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, विद्यमान है जो संभाव्य उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के संबंध में न्यायोचित रूप से संदेह उत्पन्न करता है; और
- (ख) जिससे माध्यस्थम् के लिए पर्याप्त समय समर्पित करने की उसकी क्षमता और विशिष्टितया माध्यस्थम् अधिनियम के अधीन उपबंधित विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण माध्यस्थम् को पूरा करने की उसकी क्षमता प्रभावित होना संभाव्य है।
- (2) एक मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति से और संपूर्ण मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति को किए देरी बिना, इसकी सूचना पक्षकारों को जब तक कि उन्हें पहले ही न दी जा चुकी हो, लिखित रूप में प्रकट करेगा।
- 8. मध्यस्थ की नियुक्ति.--(1) एक एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा सलाहकार पैनल की सलाह पर विचार करने के पश्चात् केंद्र द्वारा अनुरक्षित मध्यस्थों के पैनल से की जाएगी।

- (2) इन विनियमों के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करते समय, यह सुनिश्चित करने पर उचित ध्यान दिया जाएगा कि नियुक्त मध्यस्थ, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, जिसके पास पर्याप्त समय, उपलब्धता हो और मामले को त्वरित और कुशल तरीके से चलाने में सक्षम हो।
- (3) कोई भी दावेदार या प्रतिवादी या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ की नियुक्ति के पश्चात् उसके साथ मामले से संबंधित कोई एकपक्षीय या निजी संचार नहीं करेगा।
- 9. मध्यस्थों को चुनौती—(1) किसी व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति या निरंतरता को किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती दी जा सकती है, यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो मध्यस्थ की निष्पक्षता या स्वतंत्रता के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं, या यदि मध्यस्थ अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या इन विनियमों के अनुसार या निर्दिष्ट समय अविध के भीतर अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है।
- (2) एक पक्षकार इन विनियमों के अधीन नियुक्त मध्यस्थ के रूप में किसी व्यक्ति की निरंतरता को केवल उन कारणों से चुनौती दे सकता है जिनके बारे में ऐसे पक्षकारकार को ऐसी नियुक्ति के पश्चात पता चलता है
- (3) एक पक्षकार जो मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का आशय रखता है, रजिस्ट्रार को उसे ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, या उप-विनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों ज्ञात होने के पश्चात् सात दिनों के भीतर एक नोटिस भेजना होगा।
- (4) चुनौती का नोटिस दूसरे पक्षकार और एकमात्र मध्यस्थ को एक साथ भेजा जाएगा जिसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है।
- (5) चुनौती की सूचना लिखित रूप में होगी और उसमें चुनौती के लिए आधार कथित होंगे।
- (6) रजिस्ट्रार, चुनौती का समाधान होने तक माध्यस्थम् कार्यवाही को आदेश द्वारा निलंबित कर सकेगा ।
- (7) यदि किसी मध्यस्थ को एक पक्षकार द्वारा चुनौती दी जाती है, और दूसरा पक्षकार चुनौती की सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रथम पक्षकार द्वारा दी गई चुनौती पर विवाद नहीं करता है, तो अध्यक्ष ऐसे मध्यस्थ को प्रतिस्थापित कर सकता है या अस प्रकार चुनौती दिए गए मध्यस्थ स्वेच्छा से प्रत्याहृरित कर सकता है
- (8) उपविनियम (7) में उल्लिखित कोई मामला चुनौती के लिए किन्ही आधारों की विधिमान्यता की स्वीकृति नहीं है
- (9) उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट मामलों में, विनियम 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्थानापन्न मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा ।
- (10) यदि दूसरा पक्षकार चुनौती के नोटिस से सहमत नहीं है या मध्यस्थ, जिसे चुनौती दी जा रही है, स्वेच्छा से खुद को वापस नहीं लेता है, तो अध्यक्ष, नोटिस की एक प्रति पक्षकारों और मध्यस्थ को ऐसी अविध जो अध्यक्ष द्वारा उपबंधित की जाए के भीतर टिप्पणियां मांगते हुए भेजेगा।
- (11) अध्यक्ष पक्षकारों की दलीलें या मध्यस्थ की टिप्पणियाँ, जो भी पश्चात् में हो, की तारीख से दस दिनों के भीतर चुनौती पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।
- (12) यदि अध्यक्ष चुनौती के नोटिस को बरकरार रखता है, तो विनियम 10 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक स्थानापन्न मध्यस्थ नियक्त किया जाएगा।
- (13) यदि अध्यक्ष चुनौती के नोटिस को अस्वीकार कर देता है, तो मध्यस्थ, माध्यस्थम् जारी रखेगा।
- **10. मध्यस्थ का प्रतिस्थापन.**--(1) एक मध्यस्थ को निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:
  - (क) इन विनियमों के अनुसार या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य करने से इनकार या विफलता; या
  - (ख) इन विनियमों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ; या
  - (ग) उसकी मृत्यु, पदत्याग, या माध्यस्थम् से हटने की स्थिति में; या
  - (घ) विनियमन 9 के अधीन अध्यक्ष द्वारा मध्यस्थ की नियक्ति को चुनौती स्वीकार करना; या
  - (ङ) मध्यस्थ को हटाने के लिए सभी पक्षों द्वारा अध्यक्ष से किए गए लिखित अनुरोध के मामले में और जहां ऐसा अनुरोध उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
- (2) जब किसी कारण से किसी मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाना हो, तो अध्यक्ष द्वारा इन विनियमों के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक स्थानापन्न मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा।

(3) एक मध्यस्थ के प्रतिस्थापन पर, पुनर्गिठत माध्यस्थम् अधिकरण उस चरण का निर्धारण करेगा जहां से पुनर्गिठत माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष कार्यवाही आगे बढ़ेगी:

परंतु यदि पिछले माध्यस्थम् अधिकरण ने अंतरिम या आंशिक पंचाट दिया है, तो ऐसे पंचाट से संबंधित कोई भी सुनवाई, पुनर्गठित माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दोबारा नहीं की जाएगी और ऐसा अंतरिम या आंशिक पंचाट प्रभावी रहेगा।

- 11. फास्ट ट्रैक प्रक्रिया.— (1) उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट फास्ट ट्रैक प्रक्रिया, उप-विनियम (3) में दिए गए उपबंधों को छोड़कर, इन विनियमों के अधीन संचालित सभी माध्यस्थमों पर लागू होगी।
- (2) माध्यस्थम् कार्यवाहियां, निम्नलिखित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी, अर्थात्:-
  - (क) माध्यस्थम् अधिकरण, पक्षकारों द्वारा दायर किए गए लिखित अभिवचनों, दस्तावेज़ों और प्रस्तुतियों के आधार पर विवाद का विनिश्चय करेगा:
  - (ख) माध्यस्थम् अधिकरण के पास पक्षकारों से उनके द्वारा दाखिल किए गए अभिवचनों और दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई और सूचना या स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति होगी;
  - (ग) मौखिक सुनवाई केवल तभी आयोजित की जा सकती है जब सभी पक्षकार अनुरोध करते हैं या यदि माध्यस्थम् अधिकरण कुछ मृद्दों को स्पष्ट करने के लिए इसे आवश्यक समझता है;
  - (घ) यदि मौखिक सुनवाई की जाए तो माध्यस्थम् अधिकरण किसी भी तकनीकी औपचारिकता से छूट दे सकता है, और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो इसके शीघ्र निपटान के लिए उचित समझी जाए;
  - (ङ) इस विनियमन के अधीन पंचाट पक्षकारों को रजिस्ट्रार द्वारा सूचना देने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा;
  - (च) यदि छह महीने की अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है, माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश समाप्त हो जाएगा, जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से पंचाट देने की अवधि बढ़ा नहीं दी जाती।
- (3) किसी पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर, माध्यस्थम् अधिकरण, पक्षकारों को सुनने का अवसर देने के पश्चात्, आदेश दे सकता है कि माध्यस्थम् कार्यवाही इस विनियमन के अधीन फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अनुसार आयोजित नहीं की जाएगी, और जहां माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे आवेदन की अनुमति देता है, माध्यस्थम्, उसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा संचालित किया जाता रहेगा जिसका ऐसे माध्यस्थम् के संचालन के लिए माध्यस्थम् अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठन किया गया था, सिवाय इसके कि इस विनियमन में उपबंधित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के संबंध में अवधि और अन्य उपबंध उक्त माध्यस्थम कार्यवाही पर लागु नहीं होंगे।
- 12. माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अंतरिम उपाय.- (1) एक पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान विवाद की विषय-वस्तु के संबंध में सुरक्षा के अंतरिम उपाय के लिए, माध्यस्थम् अधिकरण में आवेदन कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
- (क) माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के लिए अभिभावक संरक्षक की नियुक्ति; या
- (ख) निम्नलिखित में से किसी के संबंध में सुरक्षा का एक अंतरिम उपाय, अर्थात्:-
  - (i) किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा और विक्रय, जो माध्यस्थम् की विषय वस्तु है;
  - (ii) माध्यस्थम् में विवाद की रकम सुरक्षित करना;
  - (iii) किसी संपत्ति या चीज़ का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण, जो माध्यस्थम् में विवाद की विषय-वस्तु है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उठ सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के कब्जे में किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना या किसी भी नमूने लेने, या कोई अवलोकन करने, या प्रयोग करने की कोशिश करने के लिए अधिकृत करना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हो:
  - (iv) अंतरिम आदेश या रिसीवर की नियुक्ति;
  - (v) सुरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो माध्यस्थम् अधिकरण को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हों;
- (2) माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पर, अपने द्वारा दिए गए अंतरिम उपाय को उपांतरित, निलंबित या पर्यवेसित कर सकता है, यदि परिस्थितियां उचित हों।

- 13. दावे या प्रतिरक्षा के कथनों में संशोधन- (1) एक पक्षकार, माध्यस्थम् अधिकरण की अनुमित से, अपने दावे, प्रतिदावे या अन्य अभिवचनों में संशोधन, उनको पूरक या उपांतरित कर सकेगा, जब तक कि माध्यस्थम् अधिकरण ऐसा अनुरोध करने में देरी को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के संशोधन करने की अनुमित देना अनुचित न समझे या इससे दूसरे पक्षकार या किसी अन्य परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (2) यदि किसी पक्षकार को अपने दावे या प्रतिदावे में संशोधन करने की अनुमित दी जाती है, तो ऐसा पक्षकार अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त माध्यस्थम् अधिकरण फीस और प्रशासनिक फीस का, यदि अपेक्षित हो, भुगतान करेगा।
- 14. आगे की कार्यवाहियां या प्रस्तुतियाँ.-- माध्यस्थम अधिकरण यह विनिश्यच कर सकता है कि पक्षकारों से आगे की कार्यवाहियां या प्रस्तुतियाँ अपेक्षित हैं या नहीं और यह ऐसी कार्यवाहियां या प्रस्तुतियाँ दायर करने की अविध तय करेगा. यदि कोई हो।
- 15. माध्यस्थम कार्यवाही की भाषा.--जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, माध्यस्थम कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।
- परंतु माध्यस्थम अधिकरण, या यदि माध्यस्थम अधिकरण का गठन नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रार, किसी पक्षकार को दावे के बयान या बचाव के बयान या किसी भी दस्तावेज का अनुवाद अंग्रेजी के अतिरिक्त, लागू अभ्यास निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है,।
- **16. दल के प्रतिनिधि.--**(1) कोई पक्षकार अपने अधिवक्ता या किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कर सकेगा।
- (2) यदि कोई पक्षकार अपने अधिवक्ता या प्रतिनिधि को बदलता है, तो वह तुरंत रजिस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण और अन्य पक्षों को लिखित रूप में सूचित करेगा।
- 17. माध्यस्थम का स्थान या सीट.--(1) सुविधा परिषद का स्थान, जो विवाद को केंद्र को संदर्भित करता है, माध्यस्थम का स्थान या सीट माना जाएगा।
- परंतु माध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों की सहमति से माध्यस्थम के किसी अन्य स्थान या सीट का निर्धारण कर सकता है ।
- (2) माध्यस्थम अधिकरण, पक्षकारों के परामर्श से या तो भौतिक मोड में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में या हाइब्रिड मोड में या उसके संयोजन में कार्यवाही आयोजित कर सकता है और जहां माध्यस्थम अधिकरण कार्यवाही विनिश्चित करता है (साक्ष्य की रिकॉर्डिंग सिहत) भौतिक मोड में, यह इसे पक्षकारों द्वारा सहमत किसी भी स्थान पर आयोजित कर सकता है या जहां ऐसा कोई समझौता नहीं है, इसे पक्षकारों से परामर्श करने के बाद ऐसे स्थान पर आयोजित कर सकता है जिसे माध्यस्थम अधिकरण सुविधाजनक या उचित मानता है।
- **18. लागू विधि.--**(1) माध्यस्थम अधिकरण तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार माध्यस्थम के लिए संदर्भित विवाद का विनिश्चय करेगा।
- (2) सभी मामलों में, माध्यस्थम अधिकरण अनुबंध की शर्तों, लेनदेन पर लागू होने वाले किसी भी व्यापार उपयोग को उस सीमा तक ध्यान में रखेगा जब तक माध्यस्थम अधिकरण इसे मध्यस्थता के लिए सुसंगत मानता है ।
- 19. विनिश्चय देना.--(1) माध्यस्थम अधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि पक्षकारों के पास पेश करने या प्रस्तुत करने के लिए कोई और सुसंगत और भौतिक सबूत नहीं है, यह घोषणा करेगा कि कार्यवाही बंद हो गई है और माध्यस्थम अधिकरण, अपने आप ही ऐसा कर सकता है। किसी भी पंचाट से पहले प्रस्ताव या किसी पक्षकार के आवेदन पर, कार्यवाही को फिर से खोलें।
- (2) माध्यस्थम अधिकरण उस तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सभी मसौदा पंचाट प्रस्तुत करेगा, जिस दिन वह कार्यवाही को बंद घोषित करता है, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में और आगे माध्यस्थम अधिकरण द्वारा आवेदन या रजिस्ट्रार के स्वयं के प्रस्ताव पर न हो, ड्राफ्ट पंचाट जमा करने की अवधि रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ा दी गई है।
- (3) रजिस्ट्रार ड्राफ्ट पंचाट के स्वरूप में सात दिनों के भीतर बदलाव का सुझाव दे सकता है और माध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय को प्रभावित किए बिना ड्राफ्ट पंचाट में किसी भी टाइपोग्राफिक या लिपिकीय त्रुटियों को इंगित कर सकता है।
- (4) माध्यस्थम अधिकरण ऐसे बदलाव कर सकता है, यदि कोई हो, जो वह पंचाट को अंतिम रूप देने से पहले उचित समझे।
- (5) माध्यस्थम अधिकरण अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग समय पर आंशिक पंचाट दे सकता है।
- (6) पंचाट लिखित रूप में दिया जाएगा और माध्यस्थम अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा लिखित रूप में सहमित नहीं दी जाती है, तब तक पंचाट उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है।

- (7) माध्यस्थम अधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार को पंचाट दिया जाएगा, जो माध्यस्थम की लागतों के पूर्ण निपटान पर, पक्षकारों और सुविधा परिषद को, जिसने विवाद को केंद्र में भेजा है, पंचाट की प्रमाणित प्रतियां प्रेषित करेगा।
- (8) माध्यस्थम अधिकरण किसी भी मूल राशि पर ब्याज दे सकता है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में प्रदान की गई दरों पर माध्यस्थम का विषय है।
- (9) पक्षकारों के बीच समझौते के मामले में, यदि पक्षकार ऐसा अनुरोध करती हैं, तो माध्यस्थम अधिकरण समझौते को रिकॉर्ड करते हुए एक सहमति पंचाट दे सकता है, परंतु कि ऐसे पंचाट में एक बयान होगा कि यह पक्षकारों की सहमित से दिया गया एक पंचाट है, और इसमें कारण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- (10) यदि पक्षकारों को सहमति पंचाट की अपेक्षा नहीं है, तो पक्षकार माध्यस्थम अधिकरण को लिखित रूप में पुष्टि करेंगी कि एक समझौता हो गया है, जो माध्यस्थम अधिकरण को मुक्त कर देगा लेकिन माध्यस्थम किसी भी बकाया लागत के भुगतान पर माध्यस्थम कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
- (11) इन विनियमों के अधीन मध्यस्थता के लिए सहमत होकर, पक्षकार इस बात पर भी सहमत हो सकती हैं कि एक पंचाट अंतिम होगा और पक्षकारों पर इसके लागू होने की तारीख से बाध्यकारी होगा।
- 20. पंचाट का संशोधन और निर्वचन, अतिरिक्त पंचाट.--(1) माध्यस्थम पंचाट की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर-
- (क) एक पक्ष, दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर, माध्यस्थम अधिकरण से पंचाट में होने वाली किसी भी गणना त्रुटि, किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि या समान प्रकृति की किसी अन्य त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध कर सकता है;
  - (ख) यदि पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, तो एक पक्षकार, दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर, माध्यस्थम अधिकरण से किसी विशिष्ट बिंदु या पंचाट के भाग की निर्वचन देने का अनुरोध कर सकती है।
- (2) यदि माध्यस्थम अधिकरण उप-विनियम (1) के अधीन किए गए अनुरोध से संतुष्ट है, तो वह अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर संशोधन करेगा या निर्वचन देगा और निर्वचन माध्यस्थम पंचाट का हिस्सा बनेगी।
- (3) माध्यस्थम अधिकरण, उप-विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी त्रुटि को, अपनी पहल पर, पंचाट की तारीख से तीस दिनों के भीतर ठीक कर सकता है।
- (4) दूसरे पक्षकार को नोटिस देने वाला एक पक्ष, पंचाट की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर माध्यस्थम अधिकरण से अनुरोध कर सकता है कि वह माध्यस्थम कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए दावों के संबंध में एक अतिरिक्त पंचाट दे, लेकिन पंचाट से लोप कर दिया गया है।
- (5) यदि माध्यस्थम अधिकरण, उप-विनियम (4) के अधीन किए गए अनुरोध से संतुष्ट है, तो वह ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर अतिरिक्त पंचाट देगा।
- (6) यदि आवश्यक हो तो माध्यस्थम अधिकरण उस अवधि को बढ़ा सकता है जिसके भीतर वह सुधार करेगा, निर्वचन देगा या उप-विनियम (2) या उप-विनियम (5) के अधीन एक अतिरिक्त पंचाट देगा।
- (7) विनियम 19 पंचाट के संशोधन या निर्वचन या अतिरिक्त पंचाट पर लागू होगा।
- 21. माध्यस्थम की फीस और खर्च--(1) माध्यस्थम की फीस और प्रशासन शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार देय होगा।
- (2) माध्यस्थम अधिकरण द्वारा आवश्यक रूप से किए गए उचित जेब खर्च और अन्य भत्तों की प्रतिपूर्ति लागू अभ्यास निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- 22. माध्यस्थम की लागत के लिए जमा राशि--(1) रजिस्ट्रार माध्यस्थम की लागत के लिए जमा की राशि तय करेगा.
- (2) जब तक रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देश न दे, उप-विनियम (1) के अधीन तय की गई राशि का पचास प्रतिशत भुगतान दावेदार द्वारा किया जाएगा और ऐसी राशि का शेष पचास प्रतिशत प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (3) सभी भुगतान अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाएंगे।
- (4) जहां भुगतान देय होने के समय दावे या प्रतिदावे की राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है, विवाद की प्रकृति, संविदा राशि और मामले की परिस्थितियाँ, जिन्हें बाद में समायोजित किया जाएगा, के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा माध्यस्थम की लागत का एक अनंतिम अनुमान लगाया जाएगा।
- (5) रजिस्ट्रार समय-समय पर पक्षकारों को माध्यस्थम की लागत के लिए या पक्षकारों की ओर से या उनके लाभ के लिए अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

- (6) यदि कोई पक्षकार निर्देशानुसार राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण से परामर्श करने के बाद और पक्षकारों को सूचित करने के बाद, माध्यस्थम अधिकरण को माध्यस्थम कार्यवाही को निलंबित करने और इक्कीस से अधिक की अवधि निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। वे दिन, जिनकी समाप्ति पर सुसंगत दावे या प्रतिदावे उस समय लागू विधि के अनुसार, समान दावों या प्रतिदावों को किसी अन्य कार्यवाही में नए सिरे से प्रस्तुत करने के पक्षकारों के अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना समाप्त हो जाएंगे।
- (7) माध्यस्थम की लागत के लिए जमा राशि के भुगतान के लिए पक्षकार संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं।
- (8) यदि दूसरा पक्षकार अपने भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कोई भी पक्षकार दावे या प्रतिदावे के संबंध में माध्यस्थम की लागत के लिए पूरी जमा राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है।
- (9) यदि माध्यस्थम को सुनवाई के बिना निपटाया जाता है तो माध्यस्थम की लागत अंततः रजिस्ट्रार द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएगी, जिसमें कार्यवाही के चरण भी शामिल हैं जिस पर माध्यस्थम का निपटारा या निपटान किया जाता है।
- (10) यदि निर्धारित की गई माध्यस्थम की लागत जमा राशि से कम है, तो केंद्र द्वारा पक्षकारों को जमा राशि के अनुपात में रिफंड किया जाएगा, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।
- (11) सभी जमाएँ केंद्र के पास की जाएंगी और ऐसी जमाओं पर जो भी ब्याज मिलेगा, उसे केंद्र द्वारा रखा जाएगा।
- (12) केंद्र के पास माध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए माध्यस्थम पंचाट पर ग्रहणाधिकार होगा और पंचाट को पक्षकारों को सूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सभी लागतें पक्षकारों या उनमें से किसी एक द्वारा केंद्र को पूरी तरह से भुगतान नहीं की जाती हैं।
- 23. माध्यस्थता की लागत--(1) माध्यस्थम अधिकरण पंचाट में माध्यस्थता की लागत की कुल राशि निर्दिष्ट करेगा, और पंचाट में पक्षकारों के बीच माध्यस्थम की लागत के बंटवारे का निर्धारण करेगा।
- (2) "माध्यस्थम की लागत" शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित हैं--
  - (क) माध्यस्थम अधिकरण की फीस और व्यय:
  - (ख) केन्द्र की प्रशासनिक फीस तथा इसके व्यय; और
- (ग) माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित विशेषज्ञ सलाह और अन्य सहायता का खर्च ।
- (घ) माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संबंध में कोई अन्य उपगत खर्च।
- **24. विधिक और अन्य खर्च**.- (1) माध्यस्थम् अधिकरण अपने पंचाट में आदेश दे सकता है कि किसी पक्षकार की विधिक या अन्य खर्च का पूरा या आंशिक भुगतान किसी अन्य पक्षकार द्वारा किया जाए ।
- (2) माध्यस्थम् अधिकरण उपविनियम (1) के अधीन खर्च के भुगतान के लिए कोई आदेश करते समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिन्हें वह सुसंगत समझता है, जिसमें यह भी शामिल है कि किस सीमा तक प्रत्येक पक्षकार ने माध्यस्थता का शीघ्रता से संचालित किया है।
- **25. विधिक सहायता**.--(1) कोई सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम, जो माध्यस्थम् का पक्षकार है और लगातार वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है:
- (क) माध्यस्थम् कार्यवाही के प्रारंभ होने के एक वित्तीय वर्ष के दौरान; जहां पर विवाद की रकम बीस लाख रुपए तक से अधिक है; या
- (ख) माध्यस्थम् कार्यवाही के प्रारंभ होने के तीन वित्तीय वर्ष के दौरान; जहां पर विवाद की रकम बीस लाख रुपए से अधिक है,

आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र को आवेदन कर सकता है।

- (2) रजिस्ट्रार उप विनियम(1) के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- (3) जहां आवेदन मंजूर किया जाता है, वहां रजिस्ट्रार:-

- (i) उप विनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाले पक्षकार द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रशासनिक फीस का पचास प्रतिशत तक माफ कर सकता है:
- (ii) विनियम 24 के अधीन अधिकरण के खर्च के संबंध में माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय के अधीन रहते हुए दावेदार को सहयोग और सहायता के लिए बिना खर्च के काउंसेल प्रदान कर सकता है।
- 26. दायित्व का अपवर्जन.-- (1) केन्द्र, अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रजिस्ट्रार, सलाहकारी पैनल या माध्यस्थता सदन के सदस्य, अन्य अधिकारी, कर्मचारी या कोई मध्यस्थ इन विनियमों के अधीन संचालित किए जाने वाले किसी भी मध्यस्थता के संबंध में सद्भावपूर्वक किए गए किसी उपेक्षा, कार्य या लोप के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।
- (2) केन्द्र, अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, रिजस्ट्रार, सलाहकारी पैनल या माध्यस्थता सदन के सदस्य, अन्य अधिकारी, कर्मचारी या कोई मध्यस्थ इन विनियमों के अधीन संचालित किसी मध्यस्थता के संबंध में किसी कथन को करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा और कोई भी पक्षकार इन विनियमों के अधीन संचालित किसी मध्यस्थता के सबंध में किसी विधिक कार्यवाही में अध्यक्ष, किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारियों या किसी मध्यस्थ से साक्षी के रूप में कार्य करवाने के लिए अनुरोध नहीं करेगा।
- 27. आपित्त करने के अधिकार का अधित्यजन.-- जहां पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण की किसी कार्यवाही या किसी निदेश को आपित्त के लिए अनुमित देता है, वह अपनी आपित्त तुरंत बताए बिना माध्यस्थम् कार्यवाही करता है, या यदि ऐसी आपित्त करने के लिए कोई अवधि प्रदान की गई है, वह उस अविध के भीतर आपित्त करने में असफल रहता है तो ऐसे पक्षकार के संबंध में यह माना जाएगा कि वह अपने अधिकार को आपित्त करने के लिए अभित्यजित कर दिया है।
- **28. गोपनीयता**.--(1) पक्षकार, माध्यस्थम् अधिकरण, केन्द्र के सदस्यों और केन्द्र सभी समय पर माध्यस्थम् और पंचाट जिसमें कार्यवाहियां भी शामिल हैं, सभी मामलों को गोपनीय रखेंगे।
- (2) कोई पक्षकार या मध्यस्थ सभी पक्षकारों की पूर्व लिखित सहमित के सिवाय निम्नलिखित ऐसे किसी मामले में तीसरे पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा,-
  - (क) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष किसी पंचाट को प्रवृत्त कराने या चुनौती देने के प्रयोजन से आवेदन करने के लिए: या
  - (ख) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किए गए आदेश का अनुसरण; या
  - (ग) विधिक अधिकार या दावा के अनुसरण या प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए; या
  - (घ) किसी विधि के उपबंधों के अनुपालन में जो प्रकटीकरण करने वाले पक्षकार पर बाध्यकारी है; या
  - (ड.) किसी विधि के अधीन कोई नियामक निकाय पर अन्य प्राधिकरण के अनुरोध या आवश्यकता के अनुपालन में; या
  - (च) किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों को उचित नोटिस के साथ आवेदन पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदेश का अनुसरण ।
- स्पष्टीकरण.—इस विनियम में, "माध्यस्थम् से संबधित मामलों" में माध्यस्थम् कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा अभिवचन, साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों तथा माध्यस्थम् से उत्पन्न पंचाट को पेश करना शामिल है लेकिन इसमें ऐसा कोई मामला शामिल नहीं है जो अन्यथा पब्लिक डोमेन में हो।
- **29. अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रजिस्ट्रार के निर्णय**.-- (1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के अधीन संचालित कोई माध्यस्थम्, सभी संबंधित मामलों के संबंध में अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रजिस्ट्रार के निर्णय पक्षकारों और माध्यस्थम् अधिकरण पर निश्चायक और आबद्धकर होगा।
- (2) जब तक इन विनियमों में स्पष्टतया उपबंधित न हो, अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रजिस्ट्रार को ऐसे निर्णयों के लिए कारण बताना अपेक्षित नहीं होगा।
- **30. विविध**.- (1) इन विनियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित न किए गए सभी मामलों में, अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रजिस्ट्रार और माध्यस्थम् अधिकरण इस विनियम की भावना के अनुसार कार्य करेंगे और माध्यस्थम् कार्यवाहियों के निष्पादन और त्वरित निर्णय को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

(2) केन्द्र सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्थम् के प्रशसन को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए व्यवसाय संबधी निदेश जारी कर सकता है।

# अनुसूची (विनियम 2(1) (त) और 21 (1)

# माध्यस्थम् के लिए फीस

## (अ) प्रशासनिक फीस

क्र.सं.	विवादग्रस्त रकम (भारतीय रुपयों में)	प्रशासनिक फीस (भारतीय रुपयों में)
	[दावा + प्रतिदावा (यदि कोई हो)]	(माल और सेवा कर को छोड़कर)
(i)	25,00,000 तक	10,000
(ii)	25,00,000 से अधिक और 1,00,00,000 तक	25,000
(iii)	1,00,00,000 से अधिक और 5,00,00,000 तक	50,000
(iv)	5,00,00,000 से अधिक	75,000

टिप्पण. — केन्द्र की प्रशासनिक फीस में निम्नलिखित शामिल नहीं है, अर्थात्:-

- (क) माध्यस्थम् से संबंधित केन्द्र द्वारा उपगत संवितरण और आनुषंगिक खर्चे;
- (ख) सुविधाओं और सहायक सेवाओं (उदाहरण के लिए, सुनवाई कक्ष, उपस्कर का किराया, प्रतिलेखन सेवाएं और निर्वचन सेवाएं), जो भी लागू हो;
- (ग) माल और सेवा कर जो भी लागू हो।

# (आ) माध्यस्थम् की फीस

क्र.सं.	विवादग्रस्त रकम (भारतीय रुपयों में) [दावा + प्रतिदावा (यदि कोई हो)]	माध्यस्थम् फीस (भारतीय रुपयों में) (माल और सेवा कर को छोड़कर)
(i)	2,00,000 तक	20,000
(ii)	2,00,000 से अधिक और 5,00,000 तक	30,000
(iii)	5,00,000 से अधिक और 10,00,000 तक	50,000
(iv)	10,00,000 से अधिक और 1,00,00,000  तक	50,000 जमा 10,00,000 से अधिक की रकम का 2%
(v)	1,00,00,000 से अधिक और 10,00,00,000 तक	2,30,000 जमा 1,00,00,000 से अधिक की रकम का 1%
(vi)	10,00,00,000 से अधिक और 20,00,00,000 तक	11,30,000 जमा 10,00,00,000 से अधिक की रकम का 0.75%
(vii)	20,00,00,000 से अधिक	18,80,000 जमा 20,00,00,000 से अधिक की रकम का 0.50% और अधिकतम 30,00,000 की सीमा तक कुल फीस

टिप्पण: —माध्यस्थम् की फीस में निम्नलिखित शामिल नहीं करता है-

- (क) माध्यस्थम् द्वारा उपगत फुटकर खर्चे;
- (ख) माल और सेवाकर, जो भी लागू हो।

हेमंत गुप्ता, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./178/2024-25]

# INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2024

- **F. No. A-60011/4/2024-Admin-IIAC.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to provide for the conduct of arbitration for micro enterprise or small enterprise, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Conduct of Micro and Small Enterprises Arbitration) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019);
  - (b) "advisory panel" means the advisory panel constituted under regulation 9 of the India International Arbitration Centre (Conduct of Arbitration) Regulations, 2023;
  - (c) "administration fee" means the administration fee specified in the Schedule;
  - (d) "Arbitral Tribunal" means a tribunal consisting of a sole arbitrator;
  - (e) "arbitrator's fee" means the arbitrator's fee specified in the Schedule;
  - (f) "Arbitration Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);
  - (g) "claimant" means supplier as defined under clause (n) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);
  - (h) "Centre" means the India International Arbitration Centre, established and incorporated under section 3 of the Act:
  - (i) "Chairperson" means the Chairperson of the Centre referred to in clause (a) of section 5 of the Act;
  - (j) "Facilitation Council" means the Micro and Small Enterprises Facilitation Council established under section 20 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);
  - (k) "micro enterprise" or "small enterprise" means the micro enterprise or small enterprise as defined under section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006);
  - (1) "panel of arbitrators" means the panel of arbitrators maintained by the Centre under sub-section (3) of section 28 of the Act;
  - (m) "practice directions" means the directions issued by the Centre to implement these regulations;
  - (n) "Registrar" means the Registrar of the Centre;
  - (o) "respondent" means buyer as defined under clause (d) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006);
  - (p) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;

- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or in the Arbitration Act or the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
- **3. Application.**—When a dispute is referred to the Centre by the Facilitation Council under sub-section (3) of section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006), the arbitration is to be conducted and administered by the Centre in accordance with the provisions of the Arbitration Act and of these regulations.
- **4. Statement of claim.** (1) On receipt of a reference under regulation 3, the Registrar shall issue a notice to the claimant to file a statement of claim under this regulation.
  - (2) Upon receiving a notice under sub-regulation (1), the claimant shall, submit a statement of claim within thirty days, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre at https://indiaiac.org or by way of an e-mail, or by filing a physical copy thereof with the Centre with a copy to the other party to the arbitration (hereinafter referred to as the respondent), setting out the following details, namely:—
    - (a) a statement describing the nature and circumstances of the dispute and the claims made against the respondent, specifying the relief sought including the amount of any quantified claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any such claims, with interest being claimed as per the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) along with supporting documents;
    - (b) the full name and address, including telephone number, mobile number and e-mail address, to the extent known, of the parties to the arbitration and their representatives, if any;
    - (c) confirmation that copies of statement of claim and supporting documents, have been served on the parties, specifying the mode and date of service:

Provided that the thirty day period for filing the statement of claim under this regulation may be extended by the Registrar on good and sufficient cause for a further period not exceeding fifteen days.

- (3) The filing of statement of claim shall not prevent any party from subsequently adding, supplementing or amending in its pleadings, the reliefs claimed, provided such reliefs claimed are relevant to the dispute.
- **5. Statement of defence and counter-claim.**—(1) The respondent shall send to the claimant and to the Centre a statement of defence and counter-claim, if any, within thirty days of the receipt of the statement of claim, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre at <a href="https://indiaiac.org">https://indiaiac.org</a> or by way of an e-mail, or by filing the physical copy with the Centre, which shall contain or be accompanied by,—
- (a) a confirmation or denial of all or part of the claims;
- (b) the full name and address along with telephone number, mobile number and e-mail address of the respondent and its representatives, if any;
- (c) a statement of the defence to the claim, and a statement describing the nature and circumstances of any counter-claims, specifying the relief claimed, including the amount of any quantified counter-claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any such counter-claims along with supporting documents;
- (d) confirmation that copies of the statement of defence and counter claim, if any, and the documents relied on have been served on the claimant and other parties, if any, specifying the mode and the date of service:

Provided that the thirty day period for filing the statement of defence and counter claim, if any, under sub-regulation (1) may be extended by the Registrar on good and sufficient cause for a further period not exceeding fifteen days and in case, the statement of defence and counter claim, if any, is not filed by the respondent within the extended period, if any, the Respondent will not be granted any further extension.

- (2) If the respondent fails to submit a statement of defence, the Arbitral Tribunal may proceed with the arbitration, on the basis of available documents.
- (3) The contents of the statement of defence and counter claim, if any shall not prevent the respondent from subsequently adding, supplementing or amending its pleadings provide that the same are relevant to the dispute.

- **6. Written communication and calculation of period.** (1) Any communication or notice shall be in writing and may be delivered by registered post or by a courier service, or transmitted by any form of electronic means or delivered by any other means that provides a record of its transmission or in any other manner as may be directed by the Centre or the Arbitral Tribunal;
- (2) Any written communication or notice shall be deemed to have been received, if it is delivered,—
  - (a) to the addressee personally; or
  - (b) to his habitual residence, place of business or designated address; or
  - (c) to any address agreed by the parties for service of communication; or
  - (d) according to the practice of the parties in prior dealings; or
  - (e) to his known e-mail address; or
  - (f) if none of the aforesaid can be found after making reasonable enquiry, then at the addressee's last known place of business or residence.
- (3) Any written communication or notice shall be deemed to have been received on the day when it is delivered or, in the case of electronic means, transmitted.
  - **7. Disclosure on independence and impartiality of the arbitrators.** (1) Where a person is to be appointed as an arbitrator, he shall disclose in writing:—
  - (a) the existence, either direct or indirect, of any past or present, relationship with or interest in any of the parties or in relation to the subject-matter in dispute, whether financial, business, professional or of any other kind, which is likely to give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality; and
  - (b) which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration and in particular his ability to complete the entire arbitration within the specified time provided under the Arbitration Act.
  - (2) An arbitrator, from his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall, without delay, disclose to the parties in writing any circumstances referred to in sub-regulation (1), unless they have already been informed of it by him.
  - **8. Appointment of arbitrator.** (1) A sole arbitrator shall be appointed by the Chairperson, from the panel of arbitrators maintained by the Centre after considering the advice of the advisory panel.
  - (2) In appointing an arbitrator under these regulations, due consideration shall be given to ensure that the appointment of an arbitrator, who is independent and impartial, has sufficient time, availability and is competent to conduct the case in a prompt and efficient manner.
  - (3) No claimant or respondent or any person on their behalf shall make any *exparte* or private communication relating to the case with the arbitrator, after he is appointed.
  - **9. Challenge of arbitrators.**—(1) The appointment or continuation of a person as an arbitrator may be challenged by any party, if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality or independence, or if the arbitrator becomes unable to discharge his functions or is not discharging his functions in accordance with these regulations or within the specified time period.
  - (2) A party may challenge the continuation of a person as an arbitrator appointed under these regulations only for reasons of which such party becomes aware after such appointment has been made.
  - (3) A party who intends to challenge the appointment of an arbitrator shall send a notice to the Registrar within seven days after the receipt of the notice of appointment of such arbitrator, or within seven days after the circumstances mentioned in sub-regulation (1) become known to that party.
  - (4) The notice of challenge shall be sent simultaneously to the other party, and the sole arbitrator whose appointment is challenged.
  - (5) The notice of challenge shall be in writing, and shall state the grounds for the challenge.
  - (6) The Registrar may, by order suspend the arbitration proceedings until the challenge is resolved.

- (7) When an arbitrator is challenged by one party, and the other party does not dispute the challenge made by the first party within seven days of the date of receipt of the notice of challenge, the Chairperson may replace such arbitrator or the arbitrator so challenged may withdraw voluntarily from his office.
- (8) In neither case referred to in sub regulation (7) does this imply acceptance of the validity of any of the grounds for the challenge.
- (9) In instances referred to in sub-regulation (7), a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure referred to in regulation 10.
- (10) If the other party does not agree to the notice of challenge or the arbitrator, who is being challenged does not withdraw himself voluntarily, the Chairperson shall send a copy of the notice to the parties and to the arbitrator to seek comments on the challenge within such period as may be provided by the Chairperson.
- (11) The Chairperson shall endeavour to decide on the challenge within ten days from the date of submissions of the parties or the comments of the arbitrator, whichever is later.
- (12) If the Chairperson upholds the notice of challenge, a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure referred to in regulation 10.
- (13) If the Chairperson rejects the notice of challenge, the arbitrator shall continue with the arbitration.
- 10. Substitution of arbitrator.—(1) An arbitrator shall be substituted upon the following conditions, namely:—
  - (a) refusal or failure to act in accordance with these regulations or within specified period; or
  - (b) unable to perform the functions in accordance with these regulations; or
  - (c) in case of his death, resignation, or withdrawal from the arbitration; or
  - (d) acceptance of a challenge to the appointment of arbitrator by the Chairperson under regulation 9; or
  - (e) in case of written request made by all the parties to the Chairperson, for the removal of the arbitrator and where such request has been accepted by him.
  - (2) When an arbitrator is to be substituted for any reason, a substitute arbitrator shall be appointed by the Chairperson as per the procedure specified for the appointment of the arbitrator under these regulations.
- (3) On substitution of an arbitrator, the reconstituted Arbitral Tribunal shall determine the stage from which the proceedings shall proceed before the reconstituted Arbitral Tribunal:

Provided that if the previous Arbitral Tribunal has made an interim or partial award, any hearings related to such award, shall not be held again by the reconstituted Arbitral Tribunal and such interim or partial award shall remain effective.

- **11. Fast track procedure.**—(1) The fast track procedure specified in sub-regulation (2), shall apply to all arbitrations conducted under these regulations except as provided in sub-regulation (3).
- (2) The arbitral proceedings shall be conducted in accordance with the following fast track procedure, namely:-
  - (a) the Arbitral Tribunal shall decide the dispute on the basis of written pleadings, documents and submissions filed by the parties;
  - (b) the Arbitral Tribunal shall have the power to call for any further information or clarification from the parties in addition to the pleadings and documents filed by them;
  - (c) an oral hearing may be held only if all the parties make a request or if the Arbitral Tribunal considers it necessary for clarifying certain issues;
  - (d) the Arbitral Tribunal may dispense with any technical formalities, if an oral hearing is held, and adopt such procedure, as deemed appropriate for expeditious disposal of the case;
  - (e) the award under this regulation shall be made within a period of six months from the date of intimation by the Registrar to the parties, of the constitution of the Arbitral Tribunal;
  - (f) if the award is not made within the period of six months, the mandate of the Arbitral Tribunal shall terminate unless the period to make the award has been extended by the Registrar for reasons to be recorded in writing;

- (3) Upon application by a party, the Arbitral Tribunal may, after giving the parties the opportunity to be heard, order that the arbitral proceedings shall not be conducted in accordance with the fast track procedure under this regulation, and where the Arbitral Tribunal allows such application, the arbitration shall continue to be conducted by the same Arbitral Tribunal that was constituted to conduct the arbitration, in accordance with the Arbitration Act and the provisions of these regulations except that the period and the other provisions in relation to fast track procedure provided for in this regulation shall not apply to the said arbitral proceedings.
- **12. Interim measures by Arbitral Tribunal.** (1) A party may, during the arbitral proceedings apply to the Arbitral Tribunal for an interim measure of protection in respect of the subject-matter of the dispute as it may consider necessary, including-
- (a) the appointment of a guardian for a minor or person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings; or
- (b) an interim measure of protection in respect of any of the following matters, namely: -
  - (i) the preservation, interim custody or sale of any goods which are the subject matter of the arbitration;
  - (ii) securing the amount in dispute in the arbitration;
  - (iii) the detention, preservation or inspection of any property or thing which is the subject-matter of the dispute in arbitration, or as to which any question may arise therein and authorising for any of the aforesaid purposes any person to enter upon any land or building in the possession of any party or authorising any samples to be taken, or any observation to be made, or experiment to be tried, which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence;
  - (iv) interim injunction or the appointment of a receiver;
  - (v) such other interim measures of protection as may appear to the Arbitral Tribunal to be just and convenient;
- (2) The Arbitral Tribunal may modify, suspend or terminate an interim measure granted by it, upon an application by a party, if the circumstances so warrant.
- 13. Amendments to the statements of claim or defence.— (1) A party may, with the leave of the Arbitral Tribunal, amend, supplement or modify its claim, counter-claim or other pleadings, unless the Arbitral Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment, having regard to the delay in making the request or the prejudice it might cause to the other party or any other circumstance.
- (2) If a party is permitted to amend its claim or counter-claim, such party shall pay the additional Arbitral Tribunal's fees and the administration fee specified in the Schedule, in case required.
- **14. Further pleadings or submissions.** The Arbitral Tribunal may decide whether further pleadings or submissions is required from the parties and it shall fix the period for filing such pleadings or submissions, if any.
- **15.** Language of the arbitration proceedings.— Unless the parties agree otherwise, the language of the arbitration proceedings shall be English:

Provided that the Arbitral Tribunal, or if the Arbitral Tribunal has not been constituted, the Registrar, may direct a party to submit translation of the statement of claim or statement of defence or any document, other than in English, in accordance with the applicable practice directions.

- **16. Party representatives.** (1) Any party may represent himself through his advocate or any other authorised representatives.
- (2) If any party changes his advocate or representative, it shall promptly communicate in writing to the Registrar, the Arbitral Tribunal and the other parties.
- **17. Place or seat of arbitration.** (1) The location of the Facilitation Council which refers the dispute to the Centre shall be deemed to be the place or seat of the arbitration,

Provided that the Arbitral Tribunal may determine any other place or seat of arbitration with the consent of the parties.

(2) The Arbitral Tribunal, in consultation with the parties may hold proceedings either in physical mode or in electronic mode or in a hybrid mode or a combination thereof and where the Arbitral Tribunal decides to hold the proceedings

(including for recording of evidence) in physical mode, it may hold it at any venue agreed to by the parties or where there is no such agreement hold it at a venue which the Arbitral Tribunal considers convenient or appropriate, after consulting the parties.

- **18. Applicable law.-** (1) The Arbitral Tribunal shall decide the dispute referred to arbitration in accordance with the law for the time being in force.
  - (2) In all cases, the Arbitral Tribunal shall take into account the terms of the contract, any trade usages applicable to the transaction to the extent the Arbitral Tribunal considers it relevant to the arbitration.
  - **19. Making of award.** (1) The Arbitral Tribunal, upon being satisfied that the parties have no further relevant and material evidence to produce or submissions to make, shall declare that the proceedings are closed and the Arbitral Tribunal may, on its own motion or upon application of a party before any award is made, reopen the proceedings.
- (2) The Arbitral Tribunal shall submit all draft awards to the Registrar within twenty one days from the date on which it declares the proceedings closed unless, in exceptional circumstances and further to an application by the Arbitral Tribunal or on the own motion of the Registrar, the period for submission of the draft award is extended by the Registrar.
- (3) The Registrar may suggest changes, within seven days as to the form of the draft award and point out any typographical or clerical errors in the draft award without affecting the decision of the Arbitral Tribunal.
- (4) The Arbitral Tribunal may make such changes, if any, as it deems fit to the award, before it is finalised.
- (5) The Arbitral Tribunal may make partial awards on different issues at different times.
- (6) The award shall be made in writing and signed by the Arbitral Tribunal and unless agreed otherwise by the parties in writing, the award shall state the reasons upon which it is based.
- (7) The award shall be delivered by the Arbitral Tribunal to the Registrar, who shall transmit attested copies of the award to the parties and to the Facilitation Council that has referred the dispute to the Centre, upon the full settlement of the costs of arbitration.
- (8) The Arbitral Tribunal may award interest on any principal sum which is the subject of the arbitration at such rates as provided in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006).
- (9) In case of a settlement between the parties, if the parties so request, the Arbitral Tribunal may make a consent award recording the settlement, provided that such award shall contain a statement that it is an award made with the consent of the parties, and does not need to contain reasons.
- (10) If the parties do not require a consent Award, the parties shall confirm in writing to the Arbitral Tribunal that a settlement has been arrived at, which shall discharge the Arbitral Tribunal but the arbitration shall stand concluded upon payment of any outstanding costs for the arbitration proceedings.
- (11) By agreeing to arbitration under these regulations, the parties may also agree that an award shall be final and binding on the parties with effect from the date it is made.
- **20. Correction and interpretation of award, additional award.** (1) Within thirty days from the receipt of the arbitral award—
- (a) a party, with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal to correct any computation error, any clerical or typographical error or any other error of a similar nature occurring in the award;
- (b) if so agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award.
- (2) If the Arbitral Tribunal is satisfied with the request made under sub-regulation (1), it shall make the correction or give the interpretation within thirty days from the receipt of the request and the interpretation shall form part of the arbitral award.
- (3) The Arbitral Tribunal may correct any error referred to in clause (a) of sub-regulation (1), on its own initiative, within thirty days from the date of the award.

- (4) A party with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal within thirty days from the receipt of the award, to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award.
- (5) If the Arbitral Tribunal is satisfied with the request made under sub-regulation (4), it shall make the additional award within sixty days from the receipt of such request.
- (6) The Arbitral Tribunal may extend, if necessary, the period within which it shall make a correction, give an interpretation or make an additional award under sub-regulation (2) or sub-regulation (5).
- (7) The regulation 19 shall apply to a correction or interpretation of the award or to an additional award.
- **21. Fees and expenses of arbitration.**—(1) The arbitrator's fee and the administration fee shall be payable in accordance with the fee specified in the Schedule.
- (2) The reasonable out-of-pocket expenses necessarily incurred by the Arbitral Tribunal and other allowances shall be reimbursed in accordance with the applicable practice directions.
- **22. Deposits for costs of arbitration.** (1) The Registrar shall fix the amount of deposits towards the costs of arbitration.
- (2) Unless the Registrar directs otherwise, fifty per cent. of the amount fixed under sub-regulation (1) shall be payable by the claimant and the remaining fifty per cent of such amount shall be payable by the respondent.
- (3) All payments shall be made preferably through electronic mode.
- (4) Where the amount of the claim or the counter-claim is not quantifiable at the time payment isdue, a provisional estimate of the costs of the arbitration shall be made by the Registrar, based on the nature of the dispute, the contract amount and the circumstances of the case, which shall be adjusted subsequently.
- (5) The Registrar may from time to time direct the parties to make further payments towards cost of the arbitration incurred or to be incurred on behalf of, or for the benefit of, the parties.
- (6) If a party fails to make the payment of amount as directed, the Registrar may, after consulting the Arbitral Tribunal and after informing the parties, direct the Arbitral Tribunal to suspend the arbitration proceedings and set the period, not exceeding twenty-one days, on the expiry of which the relevant claims or counter-claims shall stand terminated without prejudice to the parties right to reintroduce the same claims or counter-claims in another proceeding afresh, in accordance with law for the time being in force.
- (7) Parties are jointly and severally liable for the payment of deposits for costs of the arbitration.
- (8) Any party is free to pay the whole of the deposits towards costs of the arbitration in respect of the claim or the counter-claim, in case the other party fails to pay its share.
- (9) If the arbitration is settled or disposed of without a hearing, the costs of arbitration shall be finally determined by the Registrar having regard to the circumstances of the case, including the stage of proceedings at which the arbitration is settled or disposed.
- (10)In case the costs of arbitration determined are less than the deposits made, there shall be a refund made to the parties by the Centre in such proportions as the deposits were made unless otherwise agreed by the parties.
- (11) All deposits shall be made with the Centre and any interest which may accrue on such deposits shall be retained by it.
- (12) The Centre shall have a lien on the arbitral award for any unpaid costs of the arbitration and the award shall not be notified to the parties unless all such costs have been fully paid to the Centre by the parties or by any one of them.
- **23.** Costs of arbitration.—(1) The Arbitral Tribunal shall specify in the award, the total amount of the costs of the arbitration, and shall determine in the award, the apportionment of the costs of the arbitration among the parties.
- (2) The term "costs of the arbitration" includes -
  - (a) the fees and expenses of the Arbitral Tribunal;
  - (b) the administration fees of the Centre and its expenses; and
  - (c) the costs of expert advice and of other assistance reasonably required by the ArbitralTribunal.

- (d) any other cost incurred in relation to arbitration proceedings.
- **24. Legal and other costs.** (1) The Arbitral Tribunal may order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party be paid by another party.
- (2) The Arbitral Tribunal shall take into account the circumstances it considers relevant, including the extent to which each party has conducted the arbitration in an expeditious manner while making any order for payment of costs under sub-regulation (1).
- **25.** Legal Aid.— (1) Any micro enterprise or small enterprise, which is a party to the arbitration and facing continuous financial difficulties:
- (a) during one financial year preceding the commencement of arbitration, in case of amount in dispute up to twenty lakhs rupees; or
- (b) during three financial years preceding the commencement of arbitration, in case of amount in dispute above twenty lakhs rupees,

may make an application to the Centre seeking legal aid along with documents in support of the application.

- (2) The Registrar may allow or reject an application made under sub-regulation (1).
- (3) Where an application is allowed, the Registrar may:—
- (i) waive up to fifty per cent of the administration fee payable by the party which has made the application under sub-regulation (1);
- (ii) provide a counsel at no cost basis to aid and assist the claimant subject to the decision of the Arbitral Tribunal regarding costs of arbitration under regulation 24.
- **26.** Exclusion of liability.— (1) The Centre, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar, Member of the advisory panel or Chamber of Arbitration, other officers, employees or any arbitrator, shall not be liable to any person for any negligence, act or omission done in good faith, in connection with any arbitration conducted under these regulations.
- (2) The Centre, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar, Member of the advisory panel or Chamber of Arbitration of the Centre, other officers, employees or any arbitrator, shall not be under any obligation to make any statement in connection with any arbitration conducted under these regulations and no party shall seek to make the Chairperson, any Members, officers, employees or any arbitrator act as a witness in any legal proceedings in connection with any arbitration conducted under these regulations.
  - **27.** Waiver of right to object.— Where a party is permitted to make an objection to any proceeding or any direction of the Arbitral Tribunal, proceeds with the arbitration proceedings without promptly stating its objection, or if a period is provided for stating such objection fails to make the objection within that period, such party shall be deemed to have waived its right to object.
  - **28.** Confidentiality.— (1) The parties, the Arbitral Tribunal, Members of the Centre and the Centre shall at all times treat all matters relating to the arbitration and the award including the proceedings as confidential.
  - (2) A party or an arbitrator shall not, without the prior written consent of all the parties, disclose to a third party any such matter, except—
    - (a) for the purpose of making an application to a court of competent jurisdiction, to enforce or challenge the award; or
    - (b) pursuant to the order made by a court of competent jurisdiction; or
    - (c) for the purpose of pursuing or enforcing a legal right or claim; or
    - (d) in compliance with the provisions of any laws which are binding on the party making the disclosure; or
    - (e) in compliance with the request or requirement of any regulatory body or other authority under any law; or
    - (f) pursuant to an order by the Arbitral Tribunal on application by a party with proper notice to the

other parties.

Explanation.—In this regulation, "matters relating to the arbitration" include the pleadings, evidence and other documents produced by any party to the arbitration proceedings and the award arising from the arbitration, but excludes any matter that is otherwise in the public domain.

#### 29. Decisions of Chairperson, Members, Chief Executive Officer and Registrar.—

- (1) Subject to the provisions of these regulations, the decisions of the Chairperson, Members, Chief Executive Officer and Registrar with respect to all matters relating to an arbitration conducted under these regulations shall be conclusive and binding upon the parties and the Arbitral Tribunal.
- (2) The Chairperson, Members, Chief Executive Officer and the Registrar shall not be required to provide reasons for such decisions, unless expressly provided for in these regulations.
- **30. Miscellaneous.** (1) In all matters not expressly provided for in these regulations, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar and the Arbitral Tribunal shall act in the spirit of these regulations and shall make every reasonable effort to ensure the fair and expeditious conclusion of the arbitration proceedings.
- (2) The Centre may from time to time issue practice directions for implementation of these regulations, for the purpose of facilitating the administration of micro and small enterprises arbitration.

## **SCHEDULE**

(see regulation 2(1) (p) and 21 (1)

#### **FEE FOR ARBITRATION**

## (A) ADMINISTRATION FEE

Sl. No.	Amount in Dispute (Indian Rupees) [claim + counter-claim (if any)]	Administration Fee (Indian Rupees) (excluding Goods and Services Tax)
(i)	Upto 25,00,000	10,000
(ii)	Above 25,00,000 and upto 1,00,00,000	25,000
(iii)	Above 1,00,00,000 and upto 5,00,00,000	50,000
(iv)	Above 5,00,00,000	75,000

Note.— The Administration fee of the Centre does not include the following, namely:-

- (a) The disbursements and incidental expenses incurred by the Centre in connection with the arbitration;
- (b) Cost for usage of facilities and support services (for example: Hearing Rooms, Hire of Equipment, Transcription Services and Interpretation Services), as may be applicable;
- (c) Goods and Services Tax as may be applicable.

### (B) ARBITRATOR'S FEE

Sl. No.	Amount in Dispute (Indian Rupees) [Claim + Counter-claim (if any)]	Arbitrator's Fee (Indian Rupees) (excluding Goods and Service Tax)
(i)	Upto 2,00,000	20,000
(ii)	Above 2,00,000 and upto 5,00,000	30,000
(iii)	Above 5,00,000 and upto 10,00,000	50,000

(iv)	Above 10,00,000 and up to 1,00,00,000	50,000 plus 2% of amount in excess of 10,00,000
(v)	Above 1,00,00,000 and up to 10,00,00,000	2,30,000 plus 1% of amount in excess of 1,00,00,000
(vi)	Above 10,00,00,000 and upto 20,00,00,000	11,30,000 plus 0.75% of amount in excess of 10,00,00,000
(vii)	Above 20,00,00,000	18,80,000 plus 0.50% of amount in excess of 20,00,00,000 with the total fee capped at a maximum of 30,00,000.

Note: The arbitrator's fee does not include-

- (a) The out-of-pocket expenses incurred by the arbitrator;
- (b) Goods and Services Tax as may be applicable.

HEMANT GUPTA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./178/2024-25]